भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3834
मंगलवार, 30 अप्रैल, 2013

रूग्ण सीपीएसयू के छंटनी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का पुनर्वास

3834. श्री अम्बेथ राजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के उन कर्मचारियों के पुनर्वास/पुन:रोजगार के लिए कोई नीति तैयार की है जिनकी छंटनी सीपीएसयू को रूग्ण इकाइयां घोषित किए जाने के कारण हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई पुनर्वास/पुन: रोजगार नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क): कर्मचारियों की छंटनी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को रूग्ण घोषित किए जाने के कारण नहीं की गई है और उनकी रूग्णता का निवारण करने के लिए पुनरूद्धार पैकेज में कर्मचारियों को सामान्यत: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीआरएस) उपलब्ध कराई जाती है और इसलिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूग्ण इकाई के रूप में घोषित होने की वजह से छंटनी हुए अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए लोक उद्यम विभाग ने कोई पुनर्वास/पुन: रोजगार नीति तैयार/लागू नहीं की है ।

(ख): प्रश्न नहीं उठता ।

*****